न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 2/2021 (बांसवाड़ा आर्डर)

1. नसीर खां पुत्र वशीर खां, जाति मुसलमान, नि0 खोड़न, तह0 गढ़ी, जिला बांसवाड़ा
2. दिलावर खां पुत्र वशीर खां, जाति मुसलमान, नि. खोड़न, तह. गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

मृतक हिरा पिता चोखा जी फोत जाति यादव, निवासी खोड़न के बजाय :–

3/1. कोदर पुत्र हिरा जी यादव, जाति यादव, नि. खोड़न, तह. गढ़ी, जिला बांसवाड़ा
3/2. श्रीमती नवल बेवा हिरा जी, जाति यादव, नि. खोड़न, तह. गढ़ी, जिला बांसवाड़ा
3. दलजी पिता गुलाब जी यादव, जाति यादव, नि. खोड़न, तह. गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी, प्रकरण संख्या 20/2017 दिनांक 28.01.2021

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री राजकुमार जैन अभिभाषक रेस्पो. सं. 4
3. श्री राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 व 2

———:::———

निर्णय दिनांक 29–11–2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07–09–2016 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया, जिस पर वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया कि वाद तलबी कायम मुकामात के स्टेज पर नियत था तथा दिनांक 07–09–2016 वादीगण एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया, लेकिन उक्त दिनांक को वादीगण की माता श्री कुबरा बी का आकस्मिक निधन हो जाने से क्रिया कर्म में लगे रहे एवं उसके बाद उनकी भाभी का भी देहावसान हो जाने से वादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अनुपस्थिति का वास्तविक कारण है। अतः दिनांक 07–09–2016 को पारित निर्णय अपास्त किया जाकर वादीगण का वाद पुनः नंबर पर लिया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28–01–2021 से वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा. दी. खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19–03[illegible] को प्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:42 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से वकील राजकुमार जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3/1 व 3/2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अपीलान्ट वरिष्ठ नागरिक होकर परिवार में हुई मौतों के कारण अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे, जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया, जिसे पुनः नंबर पर लेने का आवेदन अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया, जबकि अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उक्त दिनांक को उनके परिवार में मौत हो जाने एवं बाद में उनकी भाभी की भी मौत हो जाने से वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है एवं मात्र अपीलान्ट की माता मृतक कुबरा बी के फोत होने की दिनांक में भिन्नता के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ग्राम पंचायत खोड़न द्वारा जारी श्रीमती कुबरा बी की मृत्यु प्रमाण पत्र में उसकी मृत्यु दिनांक 06–09–2013 अंकित है, जबकि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र में कुबरा बी की मृत्यु दिनांक 07–09–2016 को होना अंकित किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलान्ट की माता श्रीमती कुबरा बी की मृत्यु दावा अदम हाजरी में खारिज होने एवं उसके द्वारा बतायी गयी दिनांक से करीब 3 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने कुनबा बी की मृत्यु दिनांक में काफी अन्तर होने के कारण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28–01–2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 29–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:42 IST
Reason: SelfAttested